



म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,
जी.पी.एच.प्रांगण पोलोग्राउण्ड, इन्दौर
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
0731-2426354 फेक्स नं.731-2423300



क्रं./प्रनि/पक्षे/डीएस/01/अनुकंपा नीति/428

इन्दौर, दिनांक

31 JUL 2018

आदेश

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल के अनुमोदनानुसार एवं कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिये निर्णयानुसार म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लिमिटेड इन्दौर में "अनुकम्पा नियुक्ति नीति, 2013 (संशोधित)" आदेश क्रमांक प्रनि/पक्षे/01/मा.सं./710 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा लागू की गयी है।

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल द्वारा जारी ज्ञाप क्रमांक 8349/2017/तेरह दिनांक 28.12.2017 के निर्देशो के परिपालन में कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा 77 वी बैठक दिनांक 20.07.2018 में पारित संकल्प क्रमांक 2.4 में लिये गये निर्णयानुसार "अनुकम्पा नियुक्ति नीति, 2013 (संशोधित)" की विभिन्न कंडिकाओं को यथा आवश्यक संशोधित कर पूर्ववर्ती नीतियों/प्रावधानों को अधिक्रमित करते हुए "म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.इन्दौर अनुकम्पा नियुक्ति नीति, 2018" लागू की जाती है।

संलग्न - "म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.इन्दौर अनुकम्पा नियुक्ति नीति, 2018" आदेशानुसार,

(मनोज पुष्प)

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)
इन्दौर/दिनांक

पृ.क्र. प्रनि/पक्षे/01/मा.सं./ 15463
प्रतिलिपि:-

31 JUL 2018

- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
- मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.), म.प्र.पॉवर मेनेजमेंट/पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लि., जबलपुर।
- मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/भोपाल।
- मुख्य अभियंता (मा.सं.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर।
- निदेशक (वाणिज्य), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
- कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.) म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
- कार्यपालक निदेशक (आयपीडीएस/ऑपरेशन) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
- मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स/क्रय), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
- मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि., उज्जैन।
- मुख्य अभियंता (सिविल) म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (कार्य/एमटी/विस/एचटी प्रकोष्ठ) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर।
- अधीक्षण यंत्री (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि. इन्दौर।
- अधीक्षण यंत्री (भण्डार) वृत्त, म.प्र.पक्षे वि.वि.कं.लि. इन्दौर।

क्रमशः.....2

15. अधीक्षण यंत्री (सू.प्रौ.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर। उक्त आदेश कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करें।
16. अधीक्षण यंत्री (शहर/संचा:संधा/सिविल) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.
17. संयुक्त सचिव-I/II, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
18. संयुक्त सचिव-III, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
19. कार्यपालन यंत्री (शहर/संचा:संधा/एसटीएम/एसटीसी/एमटी/सिविल/भण्डार) संभाग, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,
20. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर/धार/खण्डवा/देवास/खरगोन/उज्जैन/ रतलाम/मंदसौर ।
21. निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।

— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


(ए.एल.कुरैशी)
उप सचिव

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
जी.पी.एच.कम्पाउण्ड पोलोग्राउण्ड इन्दौर

“म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि.इंदौर अनुकंपा
नियुक्ति नीति 2018”

विषय : “म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि.इंदौर अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018” ।

म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि. इंदौर में, पूर्ववर्ती म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल से अंतिम रूप से अंतरित एवं आमेलित कार्मिक अथवा कंपनी कार्मिक की सेवाकाल में *दुर्घटना मृत्यु/मृत्यु होने पर उसके पूर्णतः आश्रित परिवार के एक पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में, पूर्व में जारी समस्त अनुकंपा निर्देशों / नियमों / नीतियों को अधिक्रमित करते हुए, ‘म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि. इंदौर अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018” जारी की जाती है।

इस नीति के तहत दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति, सम्यक पदों हेतु राज्य शासन के निर्धारित वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं इत्यादि के विषय में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

“म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि.इंदौर अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018” दिनांक 01.01.2018 से प्रभावशील होगी।

कंडिका 1 : अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति

- 1.1 ‘म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि. इंदौर में कार्यरत (i) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के ऐसे कार्मिक जो राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10.04.2012 के द्वारा म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि. इंदौर को अंतिम रूप से अंतरित एवं आमेलित हुये हैं एवं कंपनी में कार्यरत है, और (ii) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि. इंदौर द्वारा नियुक्त कार्मिक जिनकी सेवायें कंपनी द्वारा नियंत्रित हैं तथा जिनकी कंपनी सेवाकाल में मृत्यु हुई हो, के पूर्णतः आश्रित परिवार के एक सदस्य को, कंडिका 2 व 3 में वर्णित पात्रता की शर्तों के पूरा करने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
- 1.1.1 ऐसे कार्मिक, जिनकी मृत्यु दिनांक 15.11.2000 के पश्चात् किन्तु 10.04.2012 के पूर्व म.प्र.रा.वि.मं/कंपनी का कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना*, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य करते समय वाहन दुर्घटना** के कारण हुई हो तो, आश्रित परिवार के एक सदस्य को कंडिका 2 एवं 3 में वर्णित पात्रता की शर्तों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
- 1.2 विद्युत कंपनियों के ऐसे कार्मिक जिनकी म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में प्रतिनियुक्ति की अवधि में मृत्यु होती है, उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

कंडिका 2 : अनुकंपा नियुक्ति हेतु पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों की पात्रता (क्रमानुसार)

- 2.1 कंडिका 1 के अन्तर्गत वर्णित दिवंगत म.प्र.रा.वि.मं./कंपनी कार्मिक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति को, अथवा
- 2.2 दिवंगत सेवक का पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री अथवा ऐसी विवाहित पुत्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो अथवा वह तलाकशुदा हो, किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसी अविवाहित, विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री दिवंगत कंपनी सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो, साथ ही यह भी कि उनके पति

शासकीय सेवक[#] न रहे हों। पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्र वधु जो कंपनी सेवक[@] की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो।

- 2.3 दिवंगत कंपनी सेवक की संतान सिर्फ पुत्री/पुत्रियां हो और वे विवाहित हों तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री। यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नि के जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी बशर्ते उसके पति शासकीय सेवा में न हों। तथा ऐसी अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को कंपनी सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा।
- 2.4 यदि मृतक कंपनी सेवक की प्राकृतिक संतान न हो तो, ऐसी दत्तक संतान जिसे कंपनी सेवक (दंपति) द्वारा कंपनी सेवक के जीवित रहते हुए, वैधानिक तरीके से गोद लिया हो, तथा वह कंपनी सेवक पर पूर्णतः आश्रित होकर साथ रह रहा हो, तो उसे भी आश्रित सदस्य माना जायेगा।
- 2.5 अविवाहित दिवंगत कंपनी सेवक के पूर्णतः आश्रित भाई अथवा अविवाहित बहन को कंपनी सेवक पर पूर्णतः आश्रित माता/पिता की अनुशंसा के आधार पर बशर्ते माता/पिता अथवा परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में न हो। यदि माता/पिता दोनों जीवित न हों तो उनकी आपसी सहमति के आधार पर।
- 2.6 सेवा में रहते हुए एक ही दुर्घटना में अथवा उसके फलस्वरूप यदि किसी कंपनी सेवक की एवं उसके पति/पत्नि दोनों की मृत्यु हो जाती है और उनका एक या एक से अधिक आश्रित सदस्य 21 वर्ष से कम आयु का हो, तो उसे पांच वर्षों तक दिवंगत कंपनी सेवक की अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति दिनांक से अप्रभावित रहते हुए, कंपनी सेवक को दिया जाने वाला अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन राशि घटाकर वेतन दिया जा सकेगा एवं एतद् अनुकंपा प्रकरण निराकृत किया जायेगा।
- 2.7 एक से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होने पर दिवंगत सेवक की पत्नी/पति की सहमति एवं, पति/पत्नी के न होने पर, परिवार की सर्वसम्मति से क्रमानुसार किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। परिवार की सहमति न होने पर कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।
- 2.8 उपरोक्त सभी बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में मृतक कंपनी सेवक के आश्रित पति/पत्नि आश्रित परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी एवं परिवार के पूर्णतः आश्रित होने का शपथ पत्र अनुकंपा नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जायेगा।

* आकस्मिक दुर्घटना से अभिप्राय है कि कार्य करते समय हुई दुर्घटना जो कार्मिक की दुखद मृत्यु का कारण हो अथवा जिससे मृत्यु कारित हो, यथा (अ) पारेषण लाईन एवं अति उच्चदाब उपकेन्द्र के निर्माण/रखरखाव के दौरान गिरने या पारेषण लाईन के टावर, अन्य पार्ट या उपकरण आदि के गिरने या खराब होने के कारण अथवा पारेषण लाईन के रूट सर्वे में हुई दुर्घटना। (ब) उप पारेषण एवं वितरण लाइन के निर्माण/रखरखाव, कार्यों के दौरान खंवे/सीढ़ी इत्यादि से गिरने, किसी वस्तु या विद्युत उपकरण या पार्ट आदि के गिरने या खराब होने से हुई दुर्घटना।

**** झूठी के दौरान सभी प्रकार के वाहन दुर्घटना से चाहे वाहन मंडल/कंपनी का हो या प्रायवेट तथा दुर्घटना कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत हुई हो अथवा झूठी पर गए अन्यत्र स्थान पर, कार्मिक की मृत्यु होने पर ।**

@ कंपनी सेवक/सेवक- दिवंगत कंपनी कार्मिक

शासकीय सेवक- इन नियमों हेतु शासकीय सेवक से आशय है कि केन्द्र शासन/ राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रम/ निकाय/ कार्पोरेशन/ बोर्ड/ परिषद शासकीय स्वशासी संस्थाएँ/युनिवर्सिटी/ राष्ट्रीयकृत बैंक/आयोग/अकादमी इत्यादि में नियोजित व्यक्ति ।

कंडिका 3 : अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्त

- 3.1 उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 में वर्णित अर्हताओं को पूर्ण करने वाला दिवंगत सेवक के पूर्णतः आश्रित परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब वह कंपनी में प्रचलित सेवा में नियुक्ति हेतु चिन्हित पदों हेतु आवश्यक अर्हता धारण करता हो । अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में आश्रित द्वारा पद के अनुसार अर्हता, योग्यता, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया के अन्य न्यूनतम मापदंड शामिल हैं, का पालन किया जायेगा ।
- 3.1.1 अनुकंपा नियुक्ति के पदों के लिये शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य योग्यतायें, राज्य शासन द्वारा समकक्ष पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप होंगी । समकक्ष पदों के निर्धारण में कठिनाई होने की स्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल एवं ऊर्जा विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर, निराकरण किया जा सकेगा ।
- 3.2 कंपनी सेवक की मृत्यु दिनांक से सात वर्ष तक कंडिका 4.1 'अ' एवं 'ब' में वर्णित पद उपलब्ध होने पर ही पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी । निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी पद रिक्त न होने की स्थिति में कंडिका 8.3 के अनुसार प्रकरण निराकृत किया जा सकेगा ।
- 3.3 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन मृत्यु दिनांक से 6 माह तक स्वीकार किये जायेंगे ।
- 3.4 यदि किसी कंपनी सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद हुई हो, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता नहीं होगी ।
- 3.5 दिवंगत सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवक #केन्द्र/राज्य शासन/निगम/मंडल/परिषद/आयोग/कंपनी/बैंक/पंचायत/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वशासी संस्था आदि में नियमित रूप से नियोजित न हो, तो ही अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता होगी ।
- 3.6 दिवंगत कार्मिक के परिवार का अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र सदस्य यदि केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके स्वत्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा निगम, मंडल, परिषद, आयोग, बैंक द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो, तो उसकी अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता नहीं होगी ।

- 3.7 दिवंगत कार्मिक प्रशिक्षु, तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो अथवा बाह्य स्रोत एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत हो तो ऐसे कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता नहीं होगी।
- 3.8 कंडिका 1 में दर्शाये अनुसार दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों को छोड़कर, शेष अस्वीकृत, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 3.9 दिवंगत कार्मिक के पूर्णतः आश्रित परिवार के कंडिका 2.1 से 2.7 में दर्शाये सदस्य को ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।

कंडिका 4 : अनुकंपा नियुक्ति के पद

- 4.1 कंपनी की अनुमोदित संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत निम्न पदों पर ही पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

(अ) तृतीय श्रेणी

नियमित पद	संविदा पद
विधि सहायक	निरंक
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	निरंक
कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन	निरंक
परीक्षण सहायक	निरंक

(ब) चतुर्थ श्रेणी

नियमित पद	संविदा पद
लाईन परिचारक	लाईन परिचारक

उपरोक्त पदों की सूची में परिवर्तन करने का अधिकार कंपनी के संचालक मंडल को होगा।

- 4.2 तृतीय श्रेणी के नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की परीक्षा पर नियुक्ति दी जा सकेगी।
- 4.3 उपरोक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु राज्य शासन के "मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017" की वेतन संरचना के अनुसार समकक्ष पदों हेतु निर्धारित वेतनमान लागू होगा। विभिन्न पदों के लिये प्रथम वेतन (Entry Level Pay) तथा भर्ती उपरांत पदोन्नति पर पदनाम एवं वेतन (लेवल) एवं उच्च वेतनमान प्राप्त होने पर वेतन (लेवल) का निर्धारण राज्य शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 2966/2018/तेरह दिनांक 5.4.2018 के अनुसार होगा।
- 4.4 अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित रिक्त पद पर ही दी जा सकेगी।

कंडिका 5 : अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यक अर्हताएं एवं शिथिलीकरण

- 5.1 कंपनी सेवक के पूर्णतः आश्रित परिवार का पात्र सदस्य, जिसके पास संबंधित पद हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक व अन्य अर्हतायें हो, अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करने हेतु पात्र होगा।
- 5.2 भर्ती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया से अनुकंपा नियुक्ति में छूट होगी तथा राज्य शासन के निर्देशानुसार दूरस्थ शिक्षा से स्नातक एवं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता को मान्य किया जा सकेगा। बशर्ते संबंधित संस्थान यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त हो।
- 5.3 अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक सेवक की पत्नी/पति के मामले में अधिवार्षिकी आयु तक पूर्णतः शिथिल रहेगी।
 - 5.3.1 अन्य पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष की छूट दी जा सकेगी।
 - 5.3.2 दुर्घटना मृत्यु के दिनांक 10.04.2012 के पूर्व के प्रकरणों में पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में (i) मृत्यु दिनांक से पूर्ववर्ती संशोधित नीति जारी होने की तिथि, और (ii) आठ वर्ष, जो भी अधिक हो, की छूट दी जा सकेगी।
 - 5.3.3 किसी भी स्थिति में पति /पत्नी के मामले को छोड़कर, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- 5.4 दिवंगत सेवक की पत्नी/आश्रित के लिये तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिये, कंपनी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिये, तीन वर्ष का समय दिया जा सकेगा।

कंडिका 6 : अवयस्क सदस्यों के संबंध में व्यवस्था

- 6.1 दिवंगत सेवक के पूर्णतः आश्रित परिवार में यदि कोई पात्र सदस्य वयस्क नहीं है तो ऐसे सेवक की मृत्यु दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि में वयस्क होने अथवा वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक आवेदन प्राप्त होने पर तथा पात्रता पूर्ण करने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

कंडिका 7 : अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया

- 7.1 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन सामान्यतः दर्शाये परिपत्र के परिशिष्ट - एक के अनुसार उस संभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री जिसमें दिवंगत कंपनी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जायेगा।
 - 7.1.1 संभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदनों को इस परिपत्र में वर्णित नियमों के अंतर्गत पूर्ण परीक्षण करते हुए वृत्त के अधीक्षण यंत्री को अग्रेषित किया जायेगा।
 - 7.1.2 वृत्त के अधीक्षण यंत्री द्वारा इस परिपत्र में वर्णित नियमों के अंतर्गत आवेदनों का पूर्ण परीक्षण करते हुए क्षेत्र के मुख्य अभियंता को अग्रेषित किया जायेगा।
 - 7.1.3 ऐसे दिवंगत कार्मिक, जिनकी दुर्घटना मृत्यु दिनांक 15.11.2000 के पश्चात तथा दिनांक 10.4.2012 के पूर्व हुई हो, के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन, संबंधित कंपनी,



जिसमें मृतक कार्मिक के कार्यालय का अंतरण/आमेलन हुआ है, (भले ही वह कार्यालय वर्तमान में अस्तित्व में न हो) के मानव संसाधन विभाग में प्रस्तुत करेंगे।

- 7.2 10 अप्रैल 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों में ऐसे सेवक जो कंपनी बनने के पूर्व/उपरांत किसी कंपनी विशेष में कार्यरत न होकर एक से अधिक कंपनियों हेतु कार्य कर रहे थे, के आश्रित अपने आवेदन मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी को प्रेषित करेंगे। वितरण कंपनी से संबंधित आवेदन पर एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा निर्णय कर संबंधित कंपनी को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा। ट्रांसको एवं जेनको से संबंधित आवेदन संबंधित कंपनी को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायेंगे। तथापि ऐसे प्रकरण जिनमें कंपनियों के बीच क्षेत्राधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है, उन्हें राज्य शासन, ऊर्जा विभाग से निर्देश प्राप्त कर निराकृत किया जायेगा।
- 7.3 कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सामान्य मृत्यु के प्रकरणों के ऊपर प्राथमिकता दी जायेगी तथा दुर्घटना मृत्यु के आवेदनों पर विचार किये जाने के उपरान्त ही अन्य प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।
- 7.4 यदि दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को नियुक्ति संबंधी प्रकरण में कोई जॉच विचाराधीन है तो उसके लिए पद सुरक्षित रखकर अन्य दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को वरीयता सूची के अनुरूप नियुक्ति दी जायेगी।
- 7.5 क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत रहेंगे। इस हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अपने कार्यालय में निम्न दो जानकारीयों अद्यतन स्थिति में संधारित करेंगे:-
- (अ) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र पदों की क्षेत्र के अंतर्गत रिक्तियों की स्थिति।
- (ब) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त पात्र आवेदनों की मृत्यु दिनांक के क्रमानुसार पंजी।
- 7.6 इस बाबत कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी में मृत्यु दिनांक के क्रम में इन्द्राज किया जाएगा। एक ही दिनांक के एक से अधिक प्रकरण आने पर निम्न श्रेणी "क" तथा "ख" के क्रम में वरीयता दी जाएगी। (क) कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना या कार्य करते समय हमलावरों द्वारा हत्या, और फिर (ख) कार्य करते समय वाहन दुर्घटना में मृत्यु। ऐसी किसी स्थिति में जहां पर कार्मिक की मृत्यु दिनांक/मृत्यु का कारण समान हो, वहां पर मृतक कार्मिक के उस परिवार को प्राथमिकता दी जावेगी जिसके खाते में मृत्यु दिनांक के समय अधिक कार्यावधि शेष रही हो। प्राथमिकता निर्धारण में कंपनी का अभिमत अंतिम होगा।
- 7.7 सामान्यतः अनुकम्पा नियुक्ति क्षेत्र में उपलब्ध पात्र नियमित रिक्त पदों पर दी जायेगी। ऐसे रिक्त नियमित पद उपलब्ध न होने की स्थिति में पात्र रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति दी जायेगी।
- 7.8 अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध होने पर सक्षम अनुमोदन के उपरांत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा ऐसे रिक्त पद जिस वृत्त में स्थित हैं उसके अधीक्षण यंत्री को नियुक्ति

आदेश जारी करने की अनुमति दी जायेगी। ऐसी अनुमति प्राप्त होने पर संबंधित अधीक्षण यंत्री द्वारा नियमानुसार सभी शर्तों को वर्णित करते हुए नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

- 7.9 कंपनी मुख्यालय के मानव संसाधन एवं प्रशासन अनुभाग द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय में रिक्त पदों की स्थिति एवं उपलब्ध आवेदनों की सूची की सतत् समीक्षा की जायेगी। एक क्षेत्र में पद उपलब्ध न होने की स्थिति में दूसरे क्षेत्र में कंपनी मुख्यालय का मानव संसाधन एवं प्रशासन अनुभाग आवेदनों को स्थानांतरित कर सकेगा। मुख्य अभियंता कार्यालय या कंपनी मुख्यालय के किसी पात्र दिवंगत कर्मचारी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन क्रमशः क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को एवं मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), को प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन ऐसे परिवार के द्वारा दिये गये विवरण अनुसार संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- 7.10 आवेदक स्वयं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने आवेदन को स्थानांतरित करवाना चाहता हो तो दूसरे क्षेत्र में उसका आवेदन वरीयता सूची में तत्समय उपलब्ध सबसे अंतिम स्थान पर दर्ज किया जायेगा।
- 7.11 दिनांक 15.11.2000 के पश्चात एवं दिनांक 10.04.2012 के पूर्व के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों में:-
- 1 यदि आवेदक स्वयं एक वितरण कंपनी के क्षेत्र से दूसरी वितरण कंपनी के क्षेत्र में अपने आवेदन को हस्तान्तरित करवाना चाहता हो, तो एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी के अनुमोदन उपरांत उस कंपनी में उपलब्ध आवेदनों की वरीयता सूची में उसका आवेदन उस मृत्यु दिनांक को सबसे अंतिम स्थान पर दर्ज किया जायेगा।
 - 2 यदि आवेदक स्वयं किसी भी वितरण कंपनी से ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी अथवा vice-versa (विलोम) में अपने आवेदन को हस्तांतरित करवाना चाहता हो तो एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर उसके आवेदन को संबंधित कंपनी में अंतरित कर देगी। इस प्रकार यह अंतरण अंतिम होगा तथा संबंधित आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति सिर्फ एतद अंतरित कंपनी द्वारा ही दी जा सकेगी। साथ ही ऐसे अंतरण पर संबंधित का आवेदन अंतरिती कंपनी में उपलब्ध आवेदनों की वरीयता सूची में उस मृत्यु दिनांक को सबसे अंतिम स्थान पर दर्ज किया जायेगा।
 - 3 इस प्रकार कंपनी अंतरण के प्रकरणों में संबंधित कंपनी आवेदक का आवेदन सत्यापित कर अपने अभिमत के साथ एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी को प्रेषित करेगी।
- 7.12 पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. द्वारा जारी परिपत्र क्र. 01-07/VI/सीएफए/4822, दिनांक 05.08.2006 के अनुसार देय अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले, आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर, अनुकम्पा वित्तीय सहायता योजना, वार्षिकी योजना, एवं अन्य लाभ (यदि कोई हो तो) अनुकम्पा नियुक्ति तिथि से बंद कर दिया जायेगा।

कंडिका 8 : पद उपलब्ध न होने पर कार्यवाही

- 8.1 अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद रिक्त न होने पर एवं आवेदक को पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. के परिपत्र क्रमांक 01-07/VI/सीएफए/4822 दिनांक 05.08.2006 के द्वारा देय अनुकंपा वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत लाभ प्रदान न किया गया हो, तो लिखित सहमति देने पर मृतक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर मृतक कर्मचारी के पूर्णतः आश्रित पति/पत्नी या उनके न होने पर उनके परिवार के सदस्यों की सर्व-सम्मति से नामांकित पात्र व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर मृतक कार्मिक द्वारा अंतिम आहरित वेतन दिया जा सकेगा। इस प्रकार दिया जाने वाला अंतिम वेतन पांच वर्ष तक अथवा मृतक कार्मिक की अधिवार्षिकी आयु/सेवानिवृत्ति दिनांक तक जो भी पहले हो जारी रखा जायेगा। यह राशि संबंधित कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जायेगी। यह सुविधा तभी दी जायेगी, जब मृतक का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिये पात्रता रखता हो। उक्तानुसार 5 वर्ष अथवा अधिवार्षिकी आयु जो भी पहले हो पूर्ण होने पर, नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी।
- 8.2 कंडिका (8.1) का लाभ लेने वाले आश्रित परिवार के किसी भी पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
- 8.3 यदि कंपनी के किसी भी कार्यालय में कंडिका 3.2 एवं 6.1 के प्रावधान अनुसार पद रिक्त न हो एवं दिवंगत परिवार द्वारा कंडिका 8.1 के अनुसार कोई विकल्प न दिया गया हो, तो कंपनी में पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र देकर आवेदन नस्तीबद्ध किया जा सकेगा। साथ ही यह भी कि पात्र आवेदक द्वारा यह अभिवचन दिया जाता है कि वह अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुकंपा अनुदान लेकर प्रकरण को हमेशा के लिए निराकृत करेगा तो ऐसी स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के बदले एक मुश्त रू. 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम पर दी जाकर प्रकरण निराकृत किया जायेगा।
- 8.4 इस परिपत्र में वर्णित शर्तों के अधीन दिवंगत कर्मचारी के परिवार के किसी भी पात्र सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु भी नहीं होने पर एवं कंडिका (8.1) में वर्णित योजना का लाभ नहीं लिये जाने पर अनुकंपा नियुक्ति के बदले में एक मुश्त रू. 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की अनुकंपा सहायता प्रदान की जाकर अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निराकृत माना जायेगा। यह राशि संबंधित कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जायेगी।
- 8.5 उपरोक्त कंडिकाओं का लाभ तभी दिया जायेगा, जब दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित परिवार का कोई सदस्य पात्र हो।

कंडिका 9 : कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगियों हेतु प्रावधान

- 9.1 कार्यभारित निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर तथा इस परिपत्र के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता एवं अर्हता रखने पर उनके आश्रित परिवार के नामांकित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर एक मुश्त रू. 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जायेगी। उसमें ग्रेच्युटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी। इस राशि का भुगतान संबंधित कार्यालय के द्वारा वेतन मद से किया जायेगा।

कंडिका 10 : वचन पत्र/शपथ पत्र

- 10.1 दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य कंडिका 3 के अनुसार अपात्रता नहीं रखता है, इस बाबत अनुकंपा नियुक्ति के आवेदक से शपथ पत्र लिया जाये।
- 10.2 दिवंगत कंपनी सेवक के पूर्णतः आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में आवेदक/आवेदिका से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का वचन-पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत कंपनी सेवक के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 10.3 कंडिका 3.2 के अनुसार आवेदक से 7 वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करने का लिखित अभिवचन पत्र प्राप्त किया जाये।

कंडिका 11 : अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- 11.1 आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति देने के पश्चात किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
- 11.2 अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी।
- 11.3 नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण नियमानुसार कराया जावेगा, परन्तु दिवंगत कंपनी सेवक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों में नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन कराने की शर्त नहीं रहेगी। अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जावेगी कि नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।
- 11.4 बैकलॉग पदों की सीधी भर्ती करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन पदों पर बैकलॉग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी है, उन पदों में अनुकंपा नियुक्ति योग्य पदों पर सर्वप्रथम अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् ही बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी।
- 11.5 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में दो से अधिक जीवित संतान होने पर अपात्रता संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र लागू नहीं होगा।
- 11.6 किसी भी स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही करने की शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जाये।

संलग्न -परिशिष्ट-एक।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर